श्री कामेश्वर सिंह (सहायक प्रोफेसर)
राजनीति विज्ञान, रोहतास महिला कालेज सासाराम
वर्ग - बी०ए० पार्ट - III (प्रतिष्ठा)
पत्र - VI, यूनिट नं० - 02

प्रमुख राजनीतिक चिंतन - डा० बी०के०मिश्रा
दिनांक - 20-05-2020

प्रश्न:- अरस्तू के नागरिकता सम्बन्धी विचारों का वर्णन करें।

उत्तर:- अरस्तू के अनुसार नागरिकता राज्य या सरकार की प्रकृति के अनुसार बदलती रहती है। क्योंकि राज्य का कोई रूप नहीं होता है। इस लिए नागरिकता की कोई परिभाषा देना कठिन है। अरस्तू ने राज्य के संबंध में कहा है कि राज्य सिर्फ समुदायों का समूह नहीं है बल्कि राज्य नागरिकों के मेल से निर्मित है। राज्य क्या है परन्तु इस प्रश्न को जानने के बाद दूसरा प्रश्न उठता है कि नागरिकता क्या है। अरस्तू के अनुसार नागरिकता की कोई एक सर्वमान्य परिभाषा नहीं दी जा सकती है क्योंकि भिन्न-भिन्न राज्यों की प्रकृति के अनुसार नागरिकता के आवश्यक गुण भी भिन्न-भिन्न होते हैं। फिर भी नागरिकता सम्बन्धी इस विवेचना में उसने राज्य के नागरिकता पर विचार न करके जनतन्त्र नागरिकता पर ही अपना विचार व्यक्त किया है।

नागरिकता की परिभाषा:- सर्वप्रथम यह प्रश्न उठता है कि नागरिकता क्या है? इस प्रश्न पर विचार करने के पहले यह जानना आवश्यक है कि कौन नागरिक नहीं है? अर्थात नागरिकता का भ्रामक दृष्टिकोण क्या है? इसके बारे में अरस्तू ने निम्न दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है।

(1) राज्य में केवल निवास करने से ही कोई व्यक्ति उस राज्य का नागरिक नहीं हो सकता क्योंकि बच्चे, स्त्रियाँ, विदेशी एवं दास लोग राज्य में निवास करते हैं परन्तु उन्हें नागरिक नहीं माना जा सकता।

(2) नागरिकता के कुछ अधिकार और कानूनों को प्राप्त कर कोई भी व्यक्ति उस राज्य का नागरिक नहीं कहा जा सकता। क्योंकि न्यायालयों द्वारा विदेशियों पर भी अभियोग चलाने का अधिकार है।

(3) अरस्तू का कहना है कि उस राज्य में सन्तान उत्पन्न होने मात्र से ही नागरिकता नहीं मिल जाती, यह सच है कि माता-पिता जिस राज्य के नागरिक हैं उस राज्य में सन्तान को नागरिकता निश्चित करने का महत्वपूर्ण तत्व है लेकिन अकेले इसी तत्व के आधार पर नागरिकता को निश्चित करना सन्तोषजनक नहीं है। क्योंकि बच्चे के माता-पिता के पूर्वज कोई कहीं इस राज्य में उत्पन्न हुए हों जिस राज्य में इस बालक को नागरिकता मिलने का प्रश्न उठता है।

(4) निष्कासित तथा मताधिकार से वंचित व्यक्ति भी राज्य का नागरिक नहीं हो सकता।

अरस्तू के नागरिकता की विशेषताएँ :-

अरस्तू के नागरिकता सम्बन्धी विचार की निम्नलिखित विशेषताएँ हैं :-

(1) पहली विशेषता यह है कि अपने नागरिक अधिकार जिसे आजकल राजनीतिक अधिकार भी कहते हैं तथा नागरिकता निर्धारण करने का अधिकार भी माना है यह बहुत हद तक उचित कहा जा सकता है।

(2) अरस्तू के नागरिकता सम्बन्धी विचार की दूसरी विशेषता यह है कि अरस्तू नागरिकता को गुणात्मक तथा संख्यात्मक दोनों पहलुओं पर ध्यान दिया है परन्तु उसने दोनों पहलुओं में गुणात्मक पहलू को विशेष महत्व प्रदान किया है।

(3) अरस्तू के नागरिकता सम्बन्धी विशेषता में सिर्फ न्यायधीशों, मुखियों, पंचों, विधायकों तथा कार्यपालकों को ही नागरिक माना जाता है अन्य व्यक्तियों को नहीं। वास्तव में यह अरस्तू की सबसे बड़ी विशेषता कही जायेगी।

(4) अरस्तू यह चाहता है कि नागरिकों में छोटे-2 राज्यों का संकीर्ण कार्य करने वाला होना चाहिए।

(5) अरस्तू ने नागरिक जीवन के अवकाश के महत्व को स्वीकार किया है अवकाश के संबंध में व्यक्ति नागरिकता संबंधी अपने अधिकारों का पालन नहीं कर सकता है इसी कारण केवल ऐसे व्यक्तियों को ही अरस्तू नागरिकता प्राप्त करने का पक्षधर है।

Scanned by CamScanner

(6) नागरिकता को निरन्तर किये जाने वाला मूलभूत
आधार अरस्तू ने विधान को ही माना है। उनकी मान्यता है कि विधान में परिवर्तन किये जाने के साथ ही नागरिकता की प्रकृति एवं स्वरूप में परिवर्तन अवश्यम्भावी है।

इस प्रकार अरस्तू की नागरिकता संबंधी विचारों को ध्यान से देखने पर स्पष्ट होता है कि उनका विचार बिल्कुल भिन्न है। इनका नागरिक आधुनिक युग के नागरिक की तरह निर्वाचन के समय मतदान करनेवाला नहीं बल्कि शासन के कार्यों में भाग लेने वाला, बारी-बारी से शासक तथा शासित होने वाला, न्याय तथा कानून का निर्माण कार्यों में भाग लेनेवाला है। अरस्तू का नागरिक सक्रिय रूप से विशेष स्तर कार्य करता है। उनके अनुसार नागरिक शिक्षित, अनुभवी, योग्य एवं सज्जन होता है जिनके परिणाम स्वरूप शासन कार्य में भाग लेता है।

अब प्रश्न उठता है कि अरस्तू ने श्रमिकों, दासों, कारीगरों, व्यापारियों, कृषकों तथा नारियों को नागरिकता से वंचित किया है। इसके उत्तर में उन्होंने दो कारण दिये हैं।

(i) जिनके जीवन में अवकाश का अभाव होता है, जिसके फलस्वरूप राज्य कार्य में भाग नहीं ले सकता है।

(ii) वे शारीरिक परिश्रम करने वाले को आत्मा के अनुदार और उत्तम गुणों के लिए अनुकूल बना देते हैं।

इस प्रकार अरस्तू के शब्दों में "वह व्यक्ति नागरिक है, जिसे राज्य के विचार-विमर्श या न्यायिक प्रशासन में भाग लेने का अधिकार है।"

Scanned by CamScanner